

## न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा

आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
95/अपील/19तारीख दायरा  
18.06.2019तारीख निर्णय  
08.06.2020

राजेश कुमार आ० किशनचन्द्र जाति सिन्धी,  
निवासी गुरुनानक कॉलोनी, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी

- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

- रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

अपीलान्त की ओर से श्री सैयद फैसल हुसैन, एडवोकेट।  
रेस्पोजेन्ट की ओर से परोकार सरकार।

### निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.18 (मिसल संख्या 2064/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया, अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलान्त की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अपीलान्त

जिला कलक्टर, बून्दी



को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांत अपने अधिकारों से वंचित हो गये, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांत द्वारा अपना कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में अपीलांत कहीं कोई कब्जा नहीं है। आरोपित शास्ति अपीलांत द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांत पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांत को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांत द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह गे0मु0 नाली की सरकारी भूमि है, उक्त भूमि आवन्तन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलान्त बार बार अतिचार करने के आदी है। अपीलांत के पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि रिपोर्ट पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांत ने भूमि खसरा संख्या 65 रकबा 2 बीघा किस्म गे0मु0नाली वाके ग्राम रामगंज पर संवत् 2075 मौसम खरीफ में पड़त पर काश्त करने हेतु अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 250/-रु. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2074 मौसम खरीफ में भी उक्त भूमि पर फसल काश्त करने हेतु अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांत बार बार अतिचार करने का आदी है।



जिला कलेक्टर; बुन्दी

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया, उसकी समुचित तामील नहीं करवाई गई तथा उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 09.10.18 को विधिवत नोटिस दिया गया, जिस पर रामलाल एवं गणेश की तामील होना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांट की ओर से उक्त भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चात्वृत्ती अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बूंदी की पत्रावली संख्या 2616/2017 निर्णय दिनांक 26.10.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह **गे.मु. नाली** किस्म की सरकारी भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्तन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है तथा सार्वजनिक महत्व की भूमियाँ होती हैं, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में भी उक्त भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर एवं अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी पाये जाने पर समस्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला कलेक्टर बूंदी

